>

Title: Need to give constitutional status to National Commission for Backward Classes.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान और खासकर के जितने पिछड़े वर्ग के सदस्य इस सदन में हैं, उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। जो अन्य दूसरे आयोग हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग है या महिला आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग है या अन्य दूसरे आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधिकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के सदस्यों को प्राप्त नहीं हैं। इसके कारण पिछड़े वर्गों की जो सूची आती है या पिछड़े वर्गों को जो 27 प्रतिशत का आरक्षण विभिन्न सरकारी उपक्रमों में, विश्वविद्यालयों में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मैं उस समिति का सदस्य हूं और हमारे जो पिछड़ा वर्ग की समिति के अध्यक्ष हैं, हांडिक साहब, उनकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये और पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कहीं भी अगर रोक हो रही है तो आयोग उसकी निगरानी करे। अन्य पिछड़े वर्गों में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो करीब-करीब अनुसूचित जाति और जनजाति के बराबर हैं, उन पर भी देश के अन्दर जहां सामाजिक अन्याय होता है, उनके लिए आयोग कोई नोटिस नहीं ले पाता है। इसलिए इस आयोग को इतना शक्तिशाली और

बलवान बनाया जाये, इसे संवैधानिक अधिकार दिया जाये कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए देश भर में वह काम कर सके और 27 परसेंट आरक्षण को वह पूरे तौर पर लागू करवा सके। जो संस्था इसे लागू न करे, उस पर वह आयोग कार्रवाई कर सके। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :

श्री देवजी एम. पटेल,

डॉ. संजय जायसवाल,

श्री गणेश सिंह,

श्री ए.सम्पत,

श्री पन्ना लाल पुनिया,

श्री रामसिंह राठवा,

श्रीमती रमा देवी,

श्रीमती दर्शना जरदोश,

श्री अशोक अर्गल,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री सोहन पोटाई और

श्रीमती कमला देवी पटले अपने आपको श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

–